न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–394 / 2026
(जमुई थाना कांड संख्या 115 / 26 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राजेश पंडित बनाम राज्य सरकार

आदेश

08.04.2026 1– प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन **राजेश पंडित** उम्र लगभग 35 वर्ष पिता–गिरधारी पंडित साकिन इन्दपे, थाना तथा जिला जमुई द्वारा जमुई थाना कांड संख्या 115 / 26 भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 में गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल किया गया है। उक्त अग्रिम जमानत आवेदन पर अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री चन्द्रमोहन पाण्डेय तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री शक्तिलाल शर्मा को सुना गया।

2– अभियोजन का संक्षेप में कथन है कि दिनांक 10.03.2026 को विद्युत उर्जा चोरी की गुप्त सूचना के आधार पर विद्युत उपभोक्ताओं के परिसर की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया जिसमें सूचक के अलावे श्री गौतम कुमार, प्रधान लिपिक, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, जमुई, श्री राजेश्वर राव तकनीकी कोटि–01 विद्युत आपूर्ति प्रशाखा जमुई, श्री राजशेखर कुमार, मानवबल, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा जमुई तथा श्री धीरज कुमार मानव बल विद्युत आपूर्ति प्रशाखा जमुई द्वारा लगभग 1:35 बजे अपराह्न में राजेश पंडित पिता गिरधारी पंडित, साकिन इन्दपे, पो0+थाना+जिला– जमुई के घरेलू परिसर पर पहुंचा जांचोपरान्त पाया गया कि इस परिसर में एक विद्युत सम्बन्ध थां जिसका उपभोक्ता संख्या 109063113 है। परिसर में स्थपित उर्जा मीटर का जांचोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा अवैध एवं मनमाने ढंग से मेन सर्विस तार जो कि सीधे उर्जा मीटर को जाता है को उर्जा मीटर पूर्व ही कटिंग कर एवं अन्य पी0वी0सी0 तार जोड़कर अर्थात् उर्जा मीटर के वास्तविक खपत को बायपास कर घरेलू श्रेणी में कुल 962 वॉट विद्युत भार की उर्जा चोरी किया जा रहा था। जांच दल द्वारा काला रंग का पी0वी0सी0 तार का काट कर जब्त कर लिया गया जिसे जब्ती सूची में दर्शाया गया है। अवैध रूप से उक्त परिसर में विद्युत उपयोग करने से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को लगभग 31941 / –रू0 की राजस्व क्षति हुई है साथ ही अभियुक्त द्वारा इतनी ही राशि का अवैध लाभ अर्जित किया गया है।

3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए निवेदन करते है कि प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन के पूर्व आवेदक की ओर से सत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना में धारा 482 या 483 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन को छोड़कर अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका को लेकर आवेदक को धारा 35(3) तथा (5) बी0एन0एस0एस0 का लाभ नहीं दिया गया है। आवेदक निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है। यह कि आवेदक अपने घर के अन्दर एल0टी0 लाईन से कोई चोरी नहीं की है और न ही कोई पी0वी0सी0 तार को हुक के साथ जब्त किया गया है और न ही कथित तार की लंबाई लिखित आवेदन में दी गई है।यह कि आवेदक बिजली विभाग के स्थायी उपभोक्ता हैं और वह अपनी बिजली का अद्यतन बिल भी भुगतान कर रहा है जिसका बिल अभिलेख के साथ संलग्न है। यह कि आवेदक कुल क्षति का 25 प्रतिशत बिजली विभाग में जमा करने को तैयार हैं तथा आवेदक धारा 482(ii) बी0एन0एस0एस0 के शर्तों को मानने तथा साथ ही न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। आवेदक जमानत का दुरूपयोग नहीं करेंगे। यह कि आवेदक न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में बंधपत्र दाखिल करने को तैयार हैं। अतः आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते हैं।

4– अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

5– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त है तथा प्राथमिकी धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। आवेदक विद्युत विभाग के पंजीकृत उपभोक्ता है। आवेदक पर आरोप है

लगातार.....

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, जमुई
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–394 / 2026
(जमुई थाना कांड संख्या 115 / 26 से उत्पन्न)

उपस्थित – कमला प्रसाद,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई

राजेश पंडित बनाम राज्य सरकार

–लगातार–
08.04.2026

कि इनके आवासीय परिसर में पहुंचने पर विद्युत जांच दल के जांचोपरांत पाया गया कि इस परिसर में एक विद्युत सम्बन्ध था, जिसका उपभोक्ता संख्या 109063113 है। परिसर में स्थपित उर्जा मीटर का जांचोपरान्त पाया गया कि इनके द्वारा अवैध एवं मनमाने ढंग से मेन सर्विस तार जो कि सीधे उर्जा मीटर को जाता है को उर्जा मीटर के पूर्व ही कटिंग कर एवं अन्य पी0भी0सी0 तार जोड़कर अर्थात् उर्जा मीटर के वास्तविक खपत को बायपास कर घरेलू श्रेणी में कुल 962 वॉट विद्युत भार की उर्जा चोरी किया जा रहा था। जांच दल द्वारा काला रंग का पी0भी0सी0 तार का काट कर जब्त कर लिया गया जिसे जब्ती सूची में दर्शाया गया है। अवैध रूप से उक्त परिसर में विद्युत उपयोग करने से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को लगभग 31941 / –रू0 की राजस्व क्षति हुई है साथ ही अभियुक्त द्वारा इतनी ही राशि का अवैध लाभ अर्जित किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं इस वाद की तथ्य एवं परिस्थितियों के आलोक में तथा इस वाद के आवेदक की आर्थिक एवं समाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि का चालीस प्रतिशत (40%) साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को भुगतान करने पर तथा शेष राशि को तीन बराबर किस्तों में इस आदेश से तीन माह के अन्दर जमा करने पर एवं कम्पाउन्डिंग शुल्क भी अंतिम किश्त अथवा उसके पहले जमा करने का शपथपत्र न्यायालय में देने पर आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक द्वारा इस आदेश की तिथि से 30 दिन के अन्दर अधीनस्थ न्यायालय में बकाया राशि का चालीस प्रतिशत (40%) शुल्क जमा कर, उसकी रसीद प्रस्तुत करने पर तथा इस आदेश में उल्लिखित बातों का शपथ पत्र दाखिल करने पर एवं आवेदक द्वारा स्वयं न्यायालय में आत्मसर्पण करने अथवा इस वाद में पुलिस द्वारा आवेदक को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने पर एवं आवेदक द्वारा 10,000 / –रू0 के दो जमानतदार समान प्रतिभूओं सहित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार न्यायालय में प्रस्तुत करने पर एवं 438(2) द0प्र0सं0 में उल्लिखित शर्तों का पालन करने पर आवेदक **राजेश पंडित** को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।

मेमो संख्या–..... दिनांक–.....
प्रति–न्यायालय– विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जमुई।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय, जमुई।